निष्कर्ष

कर्मचारी राज्य बीमा योजना (क.रा.बी.यो.) को संगठित क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु 1952 में प्रारम्भ किया गया था। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जो क.रा.बी.यो. का नियंत्रण करने हेतु शीर्ष कॉर्पोरेट निकाय है, बीमित व्यक्तियों एवं उनके परिवारों के सदस्यों को सेवा प्रदान करते हैं, तथापि, इन सेवाओं में सुधार की गुंजाइश थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा ने उजागर किया कि क.रा.बी.नि. बी.व्य. को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कम व्यय कर रहा था तथा इसके संग्रहण अधिक थे। इसका संचित आधिक्य निरंतर बढ़ रहा था, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2013 को अंशदान के बकाया के रूप में इसके पास ₹1665.42 करोड़ थे तथा इसके बड़े भाग को गैर वसलूनीय के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जो इसकी वसूली प्रक्रिया में कमजोरियों को दर्शाता है। अंशदानों के कुछ निर्धारणों को पांच वर्षों की अधिदेशित समय सीमा के भीतर अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था, तथा इसलिए समय बाधित हो गए। इसकी बजटीय प्रक्रिया में कमजोरियॉ थीं तथा मंत्रालय ने अपनी पर्यवेक्षण भूमिका का उपयोग नहीं किया था। क.रा.बी.नि. के कर्मचारी चिकित्सा सुविधाओं हेतु अदा किए बिना इसका लाभ उठा रहे थे। क.रा.बी.नि. की विभिन्न समितियों की बैठकों का आयोजन करने में कमी थीं।

योजना के प्रभावी आवृत्तन हेतु सर्वेक्षण/निरीक्षण/नमूना निरीक्षण करने में काफी कमी थी। कुछ राज्यों में, योजना के अंतर्गत स्थापनाओं को शामिल नहीं किया जा सका था।

क.रा.बी.नि. की संवितरण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी जिसका परिणाम बीमाकृत व्यक्तियों को नगद लाभों के दावों के निपटान में विलम्बों तथा कुछ मामलों में अधिक भुगतान में हुआ। बी.व्य. की संख्या में वृद्धि के साथ बिस्तरों की वास्तविक संख्या वास्तव में कम हुई जिसका परिणाम बी.व्य. प्रति बिस्तर अनुपात की संख्या में वृद्धि में हुआ। स्थापित प्रतिमानों के अनुसार, मार्च 2013 तक विभिन्न क.रा.बी.नि. चिकित्सा, अस्पतालों में 51728 बिस्तरों की कमी थी। क.रा.बी.नि. चिकित्सा केडर रिक्तता सहित रिक्तियों की बड़ी संख्या, जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की पूर्ण अवधि तक बनी रही, के साथ क.रा.बी.यो. को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में प्रतिकूल रूप से अक्षम रहा था।

अति विशेष उपचार हेतु बाहर भेजे गए मामलों पर व्यय 2008–09 में ₹5.79 करोड़ से 2012–13 में ₹334.54 करोड़ तक बढ़ा था।

सी.वी.सी. दिशानिर्देशों के उल्लंघन में निर्माण अभिकरणों को ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान किये जा रहे थे। इसकी सेवाओं के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना समय से पीछे थी। कुछ परियोजनाओं में अस्पतालों/औषधालयों के निर्माण में विलम्ब थे जो इन परियोजनाओं हेतु समय तथा लागत अधिक होने का कारण बने। चिकित्सा महाविद्यालयों तथा 500 बिस्तर वाले अस्पतालों को इन स्थानों पर खोला गया था जहॉ बी.व्य. की अपेक्षित संख्या नहीं थी।

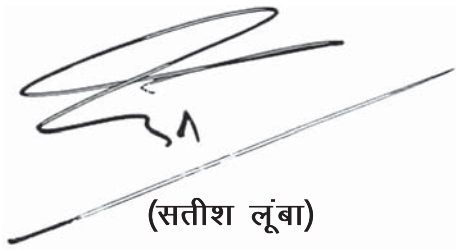

नई दिल्ली
दिनांक : 14 नवम्बर 2014

(सतीश लूंबा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा,
केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 19 नवम्बर 2014

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक